SSC GD 2025

अवसर बैच

POLITY

Class - 1

अनुच्छेद - 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नये राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है

According to article - 3, parliament can form a new state and change the area, boundary or name of an existing state by a simple majority.

ex- बिहार - झारखंड

Art. - 3

28 राज्य | 8 U.T's

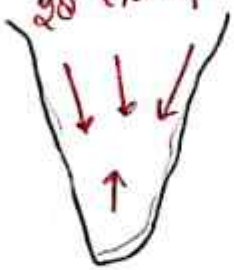

Art.-3 → संसद साधारण (simple) बहुमत (majority) से

→ नये राज्यों का निर्माण

→ राज्यों की सीमा | क्षेत्र | नाम में परिवर्तन कर सकती है

U.P. → उत्तराखंड

M.P. → छत्तीसगढ़

Simple Majority :-

साधारण बहुमत ⇒ उपस्थित और मतदान ⇒ 50% + 1
present or voting

ex - U.P. ⇒ उत्तराखण्ड
↓
Bill (विधेयक) ⟶ ex (LS) → पेश (Introduced)
→ कुल सदस्य ⇒ 543
→ चर्चा (Discussion)
→ पारित (Pass)
↳ Voting मतदान (M.P.)
↓ 400 × 50% + 1 = (201)

(RS) → पेश
→ चर्चा
↓ 245
→ पारित → उपस्थित और मतदान × 50% + 1

ex - 200 ⇒ 200 × 50% 1
(101)

LS - RS - President राष्ट्रपति ⟶ Signature (हस्ताक्षर)
↳ uttrakhand राज्य की स्थापना

संसद द्वारा अनुच्छेद - 2 अथवा अनुच्छेद - 3 के अन्तर्गत बनायी गयी विधि अनु. 368 के प्रयजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जायेगी (अनुच्छेद - 4)

A law made by parliament under article 2 or Article 3 shall not be deemed to be a law amending the constitution for the purposes of Article 368 (Article 4)

Art·4 => Art·2, Art·3 के तहत संसद जो भी कार्य करती है तह Art. 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है।

Art. 368 → संविधान संशोधन की प्रकिया

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात

After independance of India ⇒ 15 Aug. 1947 ↓

भारत के लोगों की मॉग ⇒ भाषायी आधार पर राज्यों का गठन

Demand of the Indian people ⇒ formed of linguistic base States.

↳ डा० राजेंद्र प्रसाद (संविधान सभा के अध्यक्ष)
Chairman of constituent assembly

⇒ धार आयोग का गठन → डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा

formed of Dhar commission → By Dr. Rajendra Prasad

↳ गठन (formed) → जून 1948, अध्यक्ष (chairman) → न्यायमूर्ति एस० के० धार

→ 4 सदस्यीय आयोग

4 members commission

→ कार्य = भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कैसा चाहिए या नहीं इस पर चर्चा करके रिपोर्ट देना ।

→ रिपोर्ट = 10 Dec. 1948, रिपोर्ट में कहा कि भाषा आधारित (Liguistic Base) राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए ।

धर आयोग की रिपोर्ट के पश्चात् (After the report of dhar commission)

⇒ JVP समिति का गठन (formed of JVP committee = 1948)

⇒ 3 सदस्य J ⇒ जवाहर लाल नेहरू, V ⇒ वल्लभ भाई पटेल, P ⇒ पट्टाभी सीतारमैया

कार्य (function) → भाषा आधारित राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा (Debate / Discussion) करके रिपोर्ट देना ।

⇒ रिपोर्ट (Report) = 1 April 1949, रिपोर्ट में कहा नहीं ।

⇒ तेलुगु भाषी (Telugu linguistic) लोगों ने आंदोलन (Protest / Movement) शुरू किया

"विशालांध्र आंदोलन" (Vishal Andhra protest)

↳ leader (नेता) = पोट्टी श्री रामुलु (Potti Sri Ramulu)

⇒ रामुलु ने आमरण अनशन (Death strike / fasting) की शुरुआत की।

↳ 56 days / 56 दिनों तक भूखे रहने के कारण बीमार

↳ 2 दिन (Hospital) अस्पताल में कोमा में रहें।

और 58 days → 15 dec. 1952 इनकी मृत्यु हो गयी।

तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की माँग का समर्थन करते हुए पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन आरम्भ कर दिया, जिनकी 58 दिनों बाद 15 दिसंबर, 1952 को मृत्यु हो गयी।

Supporting the demand for formation of a separate state on the basis of language for Telugu speakers, Potti Sri Ramulu

Started a fast unto death, who died 58 days later on 15 december 1952.

→ परिणामस्वरूप (As a result) = देश के प्रधानमंत्री (Prime minister of India) => Pt. Jawahar lal nehru ↓ ने भाषा आधारित (linguistic Base) प्रथम राज्य (first state) = आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की

→ प्रथम भाषा आधारित राज्य
first linguistic Base state
↳ आंध्र प्रदेश का गठन
1 Oct. 1953

→ फजल अली आयोग | राज्य पुनर्गठन आयोग
Fazal ali commission | State Re-organisation commission
↳ गठन formed → 1953
↳ Chairman (अध्यक्ष) → न्यायमूर्ति फजल अली
↳ अन्य सदस्य (other members) → 2 →
① हृदय नाथ कुंजरू
② के० एम० पनिक्कर
↳ कार्य → भाषा आधारित राज्यों के गठन की माँग पर चर्चा करना और रिपोर्ट देना।

↳ रिपोर्ट (Report) => 30 dec. 1955

—① भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं।
↳ Accept (स्वीकार)

② संविधान के भाग - 7 को समाप्त कर दो।
End of the part - 7 of constitution

→ भारत को स्वतंत्रता के पश्चात (After independent of India)

② चार श्रेणियों (4 categories) में विभाजित (Division)

A क
B ख
C ग
D घ

End (समाप्त)
⇓
Accept स्वीकार => संसद ने 7वाँ संविधान संशोधन (7th constitution Amendment 1956) 1956, के द्वारा भाग - 7 (Part - 7) को समाप्त कर दिया।

③ 16 राज्यों का गठन 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन (formed of 6 states and 3 U.T's) => Accept (स्वीकार)

=> संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित।

=> State reorganisation Act 1956 passed by Parliament.

↳ 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन formed of 14 states & 6 U.T's => 1956 (1 Nov. 1956)

नये राज्यों का गठन

राज्य	गठन वर्ष
आंध्र प्रदेश	1 October, 1953 ई.
गुजरात → 15वाँ	1 मई, 1960 ई.
नगालैंड → 16	1 दिसंबर, 1963 ई.
हरियाणा → 17	1 नवंबर, 1966 ई.
हिमाचल प्रदेश → 18	25 जनवरी, 1971 ई.
मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा (1972) → 19, 20, 21	21 जनवरी 1972 ई.
सिक्किम → 22वाँ राज्य	16 मई, 1975 ई.
मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश 24 → 20	फरवरी, 1987 ई.
गोवा → 25वाँ राज्य (56वाँ CA 1987)	30 मई 1987 ई.
छत्तीसगढ़ → 26 वाँ	1 नवंबर, 2000
उत्तराखण्ड → 27 वाँ	9 नवंबर, 2000
झारखण्ड	15 नवंबर, 2000
तेलंगाना	2 जून, 2014

सिक्किम
↳ 36वाँ संविधान संशोधन 1975

→ 2019 से पहले राज्य (State) था।
↓
2019 ↑
⇓
राज्य = 29
− (JK) ①
―――
28
↳ राज्य

→ 31 Oct. 2019 → (JK)
(लद्दाख) (जम्मू कश्मीर)

2 नये केंद्र शासित प्रदेश

1956 → (6)

26 Jan. 2020

→ 7वाँ → पुदुचेरी → 1962

→ JK
→ लद्दाख
7+2 ⇒ (9)

① दिल्ली
② पुदुचेरी
③ JK
④ लद्दाख
⑤ चण्डीगढ़
⑥ Andman & निकोबार
⑦ लक्षद्वीप
⑧ दादर नागर हवेली
⑨ दमन दीव

(1) 26 Jan. 2020 को
दोनों का विलय (Merge)

9 − 1 ⇒ (8)